न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :- 46/2022

उनवान

1. सीताराम पुत्र तेजा
2. प्रभाती पत्नी तेजा
3. सजना देवी पत्नी सीताराम

समस्त जाति जाट, निवासी रामपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

— वादीगण

बनाम

1. मालीराम दत्तक पुत्र रामनाथ
2. अजय पुत्र हरसाय
3. सुभाष पुत्र हरसाय
4. गुलाब देवी पत्नी हरसाय
5. पतासी देवी पत्नी हीरालाल
6. पूरण पुत्र हीरालाल
7. भैरूराम पुत्र हीरालाल
8. यादराम पुत्र राजाराम
9. लक्ष्मी देवी पुत्री राजाराम
10. हंसा देवी पत्नी राजाराम
11. गौरा देवी पत्नी हनुमान सहाय

समस्त जाति जाट, निवासी रामपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
13. उपपंजीयक उपपंजीयक कार्यालय तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
14. शाखा प्रबन्धक, आन्ध्रा बैंक शाखा—शाहपुरा, जिला जयपुर।
15. शाखा प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया—शाखा शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
16. शाखा प्रबन्धक सिडीकेट बैंक शाखा—शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
17. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा—शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0

— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला—जयपुर (राज.)

उपस्थिति :—

1. श्री रविशंकर अग्रवाल........ वादीगण की ओर से

2. श्री जगदीश प्रसाद जाट........प्रतिवादीगण की ओर से

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :— 16/6/2025

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता सं0—298 के खसरा नं0—412/025, 418/0 46, 427/015, कुल किता—3 रकबा 0.86 है० तथा हाल आराजी खाता सं0—54 के खसरा न0—413/0.21, 414/0.18 है० कुल किता—2 रकबा 0.39 है० तथा हाल आराजी खाता स0—179 के खसरा न0—1660/0.21. 1671/0.20 1673/0.45 कुल किता—3 रकबा 0.86 है० तथा हाल आराजी खाता सं0—210 के खसरा नं0—1658/0.21, 1663/0.24, 1664/0.32, 1665/0.16, 1666/0.24, 1670/0.20, 419/0.17, 426/0.02, 531/0 18. 532/0.20, 533/0. 46, 534/0.26, 535/0.16, कुल किता—13 रकबा 2.82 है० तथा हाल आराजी खाता स0—124 के खसरा नं0—415/2/0.12 है० कुल किता—1 रकबा 0.12 है० ग्राम रामपुरा, तह०शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हाल है नकल जमाबन्दी हाल संलग्न वाद पत्र पेश है। यहकि वाद पत्र के खण्ड स0—1 में वर्णित आराजी मुतनाजा का आज तक वैधानिक बटवारा नहीं हुआ है, चूंकि खातेदार शामलाती में ही काश्त करते आये है। यहकि प्रतिवादीगण ने वादीगण के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना रखा है जिसके चलते प्रतिवादीगण वादीगण के खेतो में खडे हरे पेडो को जबरन काट ले जाते है तथा वादीगण को आराजी में काश्त नहीं करने देते तथा वादीगण के कब्जेशुदा खेतो को जबरदस्ती छीनकर कब्जा कर लेते है तथा वादीगण को कम उपजाऊ खेत जबरदस्ती थोप देते है तथा सख्या बल वाले होने के कारण वादीगण को लठ के बल पर बेदखल करने को आमादा है जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यहकि दिनाक—05.06.2022 को वादीगण अपने खेतो की देखरेख कर रहे थे तो अचानक ही प्रतिवादीगण एक साथ एक राय होकर वादीगण के खेतो में घुस आये तथा आते ही वादीगण के हरे पेडो को काटने लगे तथा वादीगण द्वारा टोकने पर वादीगण के साथ आमादा फिसाद हो गये तथा वादीगण को एलानियाँ धमकी दी है कि हम आपको बेदखल कर कब्जा स्वय करेगे तथा आराजी के विशिष्ट भू—भाग को किसी अजनबी लठैत व्यक्ति को बेचकर ही दम लेगे तथा वादीगण को अपनी आराजी में काश्त नहीं करने की धमकी देकर गये है तथा वादीगण के खेतो में जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध करके रहेगे तथा किसी कदर काश्त नहीं करने की धमकी देकर जाने तथा कानूनी बंटवारा हेतु साफ इकारी हो जाने से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष वादीगण को अपने विधिक अधिकारो की सुरक्षार्थ वाद पत्र पेश करना

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला—जयपुर (राज.)

आवश्यक हुआ है। यहकि प्रतिवादीगण अपने अवैध मन्सूबो में किसी कदर भी कामयाब हो गये तथा वादी के खेते में खडे हरे पेडो को काटकर ले गये वादीगण को काश्त नहीं करने दी वादी के खेतो पर स्वंय कब्जा कर दुसरे अउपजाऊ खेत जबरदस्ती वादीगण को थोप दिये या किसी दीगर लठेत व्यक्ति को आराजी का विशिष्ट भू भाग बेचान कर कब्जा करवा दिया तो वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धन राशि के रूप में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारो के मध्य अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खाता स0–298 के खसरा न0–412/0.25 418/0 46. 427/0.15, कुल किता–3 रकया 0.86 है० तथा हाल आराजी खाता स0–54 के खसरा न0–413/0.21, 414/018 है0 कुल किता–2 रकबा 0.39 है० तथा हाल आराजी खाता स0–179 के खसरा न0–1660/0.21. 1671/0.20 1673/0.45 कुल किता–3 रकबा 0.86 है० तथा हाल आराजी खाता स0–210 के खसरा न0–1658/0.21, 1663/0.24, 1664/0.32. 1665/0.16, 1666/0.24. 1670/0.20, 419/0.17, 426/0.02, 531/0 18, 532/0.20, 533/0.46, 534/0.26, 535/0.16, कुल किता–13 रकबा 2.82 है0 तथा हाल आराजी खाता स0–124 के खसरा न0–415/2/0.12 है० कुल किता–1 रकबा 0.12 है० ग्राम रामपुरा, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार आराजी मुतनाजा का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व नियमो के मुताबिक राजस्व नियमावली को मध्य नजर रखते हुये सरस नरस (बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस) के आधार पर कानूनी बंटवारा किया जावे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा पृथक पृथक राजस्व लगान निर्धारित किये जाने की आज्ञा प्रदान करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव सदैव के लिए इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के खण्ड स0–1 में वर्णित आराजी मुतनाजा मे से वादी के हिस्से में आई भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बेजा मदाखलत न तो वे स्वय पैदा करे न ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, अथवा स्थानापन्न एवं उत्तराधिकारी से करावे जबकि वादी को शांति पूर्वक काबिज एवं आबाद रहकर काश्त करने देवे पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 की ओर से अधिवक्ता सतीश शर्मा, जगदीश प्रसाद जाट ने वकालतनामा एवं जवाब दावा पेश किया। प्रकरण में वकील उभयपक्ष की प्राथमिक डिक्री पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन उपरांत दिनांक 11.09.2023 को दावा प्राथमिक डिक्री किया गया एवं तहसीलदार शाहपुरा को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/097 दिनांक 05.01.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील प्रतिवादी द्वारा आपत्ति प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। उक्त आपत्ति प्रार्थना–पत्र का जवाब वकील वादी द्वारा पेश किया। वकील उभयपक्ष ने उक्त आपत्ति प्रार्थना–पत्र पर बहस की। बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा द्वारा नहीं बनाई जाकर नायब तहसीलदार द्वारा बनाई गई है जबकि मौका कमिश्नर तहसीलदार शाहपुरा को नियुक्त किया गया था। अतः आपत्ति प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट निरस्त की जाकर पुनः तहसीलदार शाहपुरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्रकरण में पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/2354 दिनांक 09.05.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील प्रतिवादी द्वारा आपत्ति प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। उक्त आपत्ति प्रार्थना–पत्र का जवाब वकील वादी द्वारा पेश किया। वकील उभयपक्ष ने उक्त आपत्ति प्रार्थना–पत्र पर बहस की। बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत बंटवारा रिपोर्ट, बंटवारा नियमों के अनुरूप नहीं होने से खारिज की जाकर पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2025/870 दिनांक 24.02.2025 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वादी ने आपत्ति प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिसका जवाब वकील प्रतिवादी द्वारा पेश किया गया। वकील उभयपक्ष ने आपत्ति प्रार्थना–पत्र पर बहस की। बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने अपनी बहस आपत्ति प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौखिक कथन किया कि हाल खसरा नंबर 531 रकबा 0.18 है0 में से 531/2 रकबा 0.1550 है0 पूरण वगै0 व 531/1 रकबा 0.0250 है0 पक्षकारान् की सम्मलित की रास्ते के लिए रखी है जबकि उक्त खसरा नंबर 531 सम्पूर्ण पर वादीगण का कब्जा है व वादीगण काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है जिसमें अन्य किसी का कोई संबंध नहीं है व हाल खसरा नंबर 1673/0.45 है0 जो प्रतिवादी संख्या 1 के बंटवारे में दी है वह गलत है उक्त भूमि के रकबका 0.06 है0 पर वादीगण का कब्जा है व वादीगण कच्ची रोड बना रखी है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट बंटवारा नियमों के अनुरूप नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है एव प्रकरण में पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायसंगत है। वकील

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

प्रतिवादी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मौखिक कथन किया कि कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्व मण्डल अजमेर के बंटवारा नियमों के अनुरूप ही बनाई गई, सभी पक्षकारों को विधिवत सूचित करते हुए पक्षकारों की मौजूदगी में जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट बनाई गई है, जो सही है। हाल आराजी खसरा नंबर 426 एवं 427 पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिए उक्त खसरा नंबर वादीगण को दिया गया है। खसरा नंबर 531/2 पर प्रतिवादी पूरण कब्जा काश्त चला आ रहा था इसलिए पूरणमल के हिस्से में अंकित है। खसरा नंबर 1673 पर प्रतिवादी मालीराम का कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को दिया गया है। केवल मात्र देरी करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः आपत्ति प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाकर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि पूर्व में प्रकरण में दो बार कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई जा चुकी है, जो बंटवारा नियमों के अनुरूप नहीं होने से खारिज की जाकर पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई गई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्व मण्डल अजमेर के बंटवारा नियमों के अनुरूप बनाई गई है एवं जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया गया है तथा नियमानुसार आवागमन हेतु रास्ता दिया गया है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतीत होने से वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आपत्ति कुर्रेजात अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी खाता स0–298 के खसरा न0–412/0.25 418/0 46. 427/0.15, कुल किता–3 रकबा 0.86 है० तथा हाल आराजी खाता स0–54 के खसरा न0–413/0.21, 414/018 है0 कुल किता–2 रकबा 0.39 है० तथा हाल आराजी खाता स0–179 के खसरा न0–1660/0.21. 1671/0.20 1673/0.45 कुल किता–3 रकबा 0.86 है० तथा हाल आराजी खाता स0–210 के खसरा न0–1658/0.21, 1663/0.24, 1664/0.32, 1665/0.16, 1666/0.24, 1670/0.20, 419/0.17, 426/0.02, 531/0 18, 532/0.20, 533/0. 46, 534/0.26, 535/0.16, कुल किता–13 रकबा 2.82 है0 तथा हाल आराजी खाता स0–124 के खसरा न0–415/2/0.12 है० कुल किता–1 रकबा 0.12 है० ग्राम

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

रामपुरा, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर राज० की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. सीताराम पुत्र तेजा हि0 1/6 राहिन 1/6 सिंडीकेट बैंक शाखा शाहपुरा, प्रभाती पत्नि तेजा हि0 1/6 राहिन 1/6 सिंडीकेट बैंक शाखा शाहपुरा, भैरूराम पुत्र हीरालाल हि0 1/15 राहिन 1/15 सिंडीकेट बैंक शाखा शाहपुरा, पूरण पुत्र हीरालाल हि0 1/15 राहिन 1/15 सिंडीकेट बैंक शाखा शाहपुरा, मालीराम दत्तक पुत्र रामनाथ हि0 1/3 राहिन 1/3 पी.एन.बी. बैंक शाहपुरा, पतासी देवी पत्नि हीरालाल हि0 1/15 राहिन 1/15 यूनियन बैंक शाहपुरा, नाबालिग अजय पुत्र हरसहाय हि0 1/15 1/45 संरक्षक माता गुलाबी देवी, गुलाबी देवी पत्नि हरसहाय हि0 1/45 राहिन 1/45 आंध्रा बैंक शाहपुरा, सुभाष पुत्र हरसहाय हि0 1/45 राहिन 1/45 आंध्रा बैंक शाहपुरा, हंसा देवी पत्नि राजाराम हि0 1/45 राहिन 1/45 यूनियन बैंक शाहपुरा, यादराम पुत्र राजाराम हि0 1/45 राहिन 1/45 यूनियन बैंक शाहपुरा, लक्ष्मी पुत्री राजाराम हि0 1/45 राहिन 1/45 यूनियन बैंक शाहपुरा समस्त जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 531/1 रकबा 0.0250 है0, 532/1 रकबा 0.0020 है0, 533/2 रकबा 0.0260 है0, 535/2 रकबा 0.0100 है0, 1663/1 रकबा 0.0170 है0, 1664/4 रकबा 0.0200 है0, 1670/2 रकबा 0.0150 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.1150 है0 भूमि रहेगी।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राज.

2. पूरण पुत्र हीरालाल हि0 340/415 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हि0 340/415 सिंडीकेट बैंक शाखा शाहपुरा, पतासी देवी पत्नि हीरालाल हि0 75/415 राहिन 75/415 यूनियन बैंक शाहपुरा जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 534/0.26 है0, 531/2 रकबा 0.1550 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4150 है0 भूमि रहेगी।
3. भैरूराम पुत्र हीरालाल हि0 340/425 राहिन 340/425 सिंडीकेट बैंक शाखा शाहपुरा, पतासी देवी पत्नि हीरालाल हि0 85/425 राहिन 85/425 जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1666/1 रकबा 0.19 है0, 1664/1 रकबा 0.05 है0, 1670/1 रकबा 0.1850 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4250 है0 भूमि रहेगी।
4. प्रभाती देवी पत्नि तेजा हि0 1/2 जाति जाट राहिन 1/2 सिंडीकेट बैंक शाखा शाहपुरा, सीताराम पुत्र तेजा 1/2 राहिन 1/2 सिंडीकेट बैंक शाखा शाहपुरा के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 426 रकबा 0.02 है0, 427 रकबा 0.15 है0, 419 रकबा 0.17 है0, 1665 रकबा 0.16 है0, 1658 रकबा 0.21 है0, 1671 रकबा 0.20 है0, 1663/2 रकबा 0.2230 है0, 1664/2 रकबा 0.08 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.2130 है0 भूमि रहेगी।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

5. सजना देवी पत्नि सीताराम हि0 पूर्ण जाति जाट राहिन हि0 पूर्ण सिंडीकेट बैंक शाखा शाहपुरा के हिस्से आराजी खसरा नंबर 414/2 रकबा 0.01 है0, 418 रकबा 0.46 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 है0 भूमि रहेगी।
6. मालीराम दत्तक पुत्र रामनाथ हि0 पूर्ण जाति जाट राहिन हि0 पूर्ण पी.एन.बी. शाखा शाहपुरा के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 533/1 रकबा 0.4340 है0, 532/2 रकबा 0.1980 है0, 1673 रकबा 0.45 है0, 415/2 रकबा 0.12 है0, 414/1 रकबा 0.17 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.372 है0 भूमि रहेगी।
7. गोरा देवी पत्नि हनुमानसहाय हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 413/2 रकबा 0.1950 है0 भूमि रहेगी।
8. हंसा देवी पत्नि राजाराम हि0 113/430 राहिन 113/430 यूनियन बैंक शाहपुरा, यादराम पुत्र राजाराम 113/430 राहिन 113/430 यूनियन बैंक शाहपुरा, लक्ष्मी पुत्री राजाराम हि0 113/430 राहिन 113/430 यूनियन बैंक शाहपुरा, पतासी देवी पत्नि हीरालाल हि0 91/430 यूनियन बैंक शाहपुरा समस्त जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1666/2 रकबा 0.05 है0, 1660/0.21 है0, 1664/3 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 रकबा 0.43 है0 भूमि रहेगी।
9. सुभाष पुत्र हरसहाय हि0 113/415 राहिन 113/415 आंध्रा बैंक शाहपुरा, गुलाब देवी पत्नि हरसहाय हि0 113/415 राहिन 113/415 आंध्रा बैंक शाहपुरा, नाबालिग अजय पुत्र हरसहाय हि0 113/415 संरक्षक माता गुलाब देवी जाति जाट, पतासी देवी पत्नि हीरालाल हि0 76/415 राहिन 76/415 यूनियन बैंक शाहपुरा समस्त जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 535/1 रकबा 0.15 है0, 412 रकबा 0.25 है0, 413/1 रकबा 0.0150 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक-दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16/6/2015 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खिदर, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर

नोट : निर्णय के क्रम सं. 1 की पंक्ति सं. 6 में न्यायालय आदेश दिनांक 20/6/15 की अनुपालना में ना- अजय पुत्र हरसहाय हि0 1/15 के बजाय 1/45 पढ़ा जावे।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 46/2022

उनवान

1. सीताराम पुत्र तेजा
2. प्रभाती पत्नी तेजा
3. सजना देवी पत्नी सीताराम

समस्त जाति जाट, निवासी रामपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– वादीगण

बनाम

1. मालीराम दत्तक पुत्र रामनाथ
2. अजय पुत्र हरसाय
3. सुभाष पुत्र हरसाय
4. गुलाब देवी पत्नी हरसाय
5. पतासी देवी पत्नी हीरालाल
6. पूरण पुत्र हीरालाल
7. भैरूराम पुत्र हीरालाल
8. यादराम पुत्र राजाराम
9. लक्ष्मी देवी पुत्री राजाराम
10. हंसा देवी पत्नी राजाराम
11. गौरा देवी पत्नी हनुमान सहाय

समस्त जाति जाट, निवासी रामपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
13. उपपंजीयक उपपंजीयक कार्यालय तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
14. शाखा प्रबन्धक, आन्ध्रा बैंक शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर।
15. शाखा प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया–शाखा शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
16. शाखा प्रबन्धक सिंडीकेट बैंक शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

17. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0

— प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

3. श्री रविशंकर अग्रवाल........ वादीगण की ओर से

4. श्री जगदीश प्रसाद जाट.........प्रतिवादीगण की ओर से

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 16/6/2025

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है एवं हाल आराजी खाता स0–298 के खसरा न0–412/0.25 418/0 46. 427/0.15, कुल किता–3 रकबा 0.86 है० तथा हाल आराजी खाता स0–54 के खसरा न0–413/0.21, 414/018 है0 कुल किता–2 रकबा 0.39 है० तथा हाल आराजी खाता स0–179 के खसरा न0–1660/0.21. 1671/0.20 1673/0.45 कुल किता–3 रकबा 0.86 है० तथा हाल आराजी खाता स0–210 के खसरा न0–1658/0.21, 1663/0.24, 1664/0.32, 1665/0.16, 1666/0.24, 1670/0.20, 419/0.17, 426/0.02, 531/0 18, 532/0.20, 533/0.46, 534/0. 26, 535/0.16, कुल किता–13 रकबा 2.82 है0 तथा हाल आराजी खाता स0–124 के खसरा न0–415/2/0.12 है० कुल किता–1 रकबा 0.12 है० ग्राम रामपुरा, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर राज० की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. सीताराम पुत्र तेजा हि0 1/6 राहिन 1/6 सिंडीकेट बैंक शाखा शाहपुरा, प्रभाती पत्नि तेजा हि0 1/6 राहिन 1/6 सिंडीकेट बैंक शाखा शाहपुरा, भैरूराम पुत्र हीरालाल हि0 1/15 राहिन 1/15 सिंडीकेट बैंक शाखा शाहपुरा, पूरण पुत्र हीरालाल हि0 1/15 राहिन 1/15 सिंडीकेट बैंक शाखा शाहपुरा, मालीराम दत्तक पुत्र रामनाथ हि0 1/3 राहिन 1/3 पी.एन.बी. बैंक शाहपुरा, पतासी देवी पत्नि हीरालाल हि0 1/15 राहिन 1/15 यूनियन बैंक शाहपुरा, नाबालिग अजय पुत्र हरसहाय हि0 1/15 संरक्षक माता गुलाबी देवी, गुलाबी देवी पत्नि हरसहाय हि0 1/45 राहिन 1/45 आंध्रा बैंक शाहपुरा, सुभाष पुत्र हरसहाय हि0 1/45 राहिन 1/45 आंध्रा बैंक शाहपुरा, हंसा देवी पत्नि राजाराम हि0 1/45 राहिन 1/45 यूनियन बैंक शाहपुरा, यादराम पुत्र राजाराम हि0 1/45 राहिन 1/45 यूनियन बैंक शाहपुरा, लक्ष्मी पुत्री राजाराम हि0 1/45 राहिन 1/45 यूनियन बैंक शाहपुरा समस्त जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 531/1 रकबा 0.0250 है0, 532/1 रकबा 0.0020 है0, 533/2 रकबा 0.0260 है0, 535/2

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

रकबा 0.0100 है0, 1663/1 रकबा 0.0170 है0, 1664/4 रकबा 0.0200 है0, 1670/2 रकबा 0.0150 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.1150 है0 भूमि रहेगी।

2. पूरण पुत्र हीरालाल हि0 340/415 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हि0 340/415 सिंडीकेट बैंक शाखा शाहपुरा, पतासी देवी पत्नि हीरालाल हि0 75/415 राहिन 75/415 यूनियन बैंक शाहपुरा जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 534/0.26 है0, 531/2 रकबा 0.1550 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4150 है0 भूमि रहेगी।

3. भैरूराम पुत्र हीरालाल हि0 340/425 राहिन 340/425 सिंडीकेट बैंक शाखा शाहपुरा, पतासी देवी पत्नि हीरालाल हि0 85/425 राहिन 85/425 जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1666/1 रकबा 0.19 है0, 1664/1 रकबा 0.05 है0, 1670/1 रकबा 0.1850 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4250 है0 भूमि रहेगी।

4. प्रभाती देवी पत्नि तेजा हि0 1/2 जाति जाट राहिन 1/2 सिंडीकेट बैंक शाखा शाहपुरा, सीताराम पुत्र तेजा 1/2 राहिन 1/2 सिंडीकेट बैंक शाखा शाहपुरा के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 426 रकबा 0.02 है0, 427 रकबा 0.15 है0, 419 रकबा 0.17 है0, 1665 रकबा 0.16 है0, 1658 रकबा 0.21 है0, 1671 रकबा 0.20 है0, 1663/2 रकबा 0.2230 है0, 1664/2 रकबा 0.08 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.2130 है0 भूमि रहेगी।

5. सजना देवी पत्नि सीताराम हि0 पूर्ण जाति जाट राहिन हि0 पूर्ण सिंडीकेट बैंक शाखा शाहपुरा के हिस्से आराजी खसरा नंबर 414/2 रकबा 0.01 है0, 418 रकबा 0.46 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.47 है0 भूमि रहेगी।

6. मालीराम दत्तक पुत्र रामनाथ हि0 पूर्ण जाति जाट राहिन हि0 पूर्ण पी.एन.बी. शाखा शाहपुरा के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 533/1 रकबा 0.4340 है0, 532/2 रकबा 0.1980 है0, 1673 रकबा 0.45 है0, 415/2 रकबा 0.12 है0, 414/1 रकबा 0.17 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.372 है0 भूमि रहेगी।

7. गोरा देवी पत्नि हनुमानसहाय हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 413/2 रकबा 0.1950 है0 भूमि रहेगी।

8. हंसा देवी पत्नि राजाराम हि0 113/430 राहिन 113/430 यूनियन बैंक शाहपुरा, यादराम पुत्र राजाराम 113/430 राहिन 113/430 यूनियन बैंक शाहपुरा, लक्ष्मी पुत्री राजाराम हि0 113/430 राहिन 113/430 यूनियन बैंक शाहपुरा, पतासी देवी पत्नि हीरालाल हि0 91/430 यूनियन बैंक शाहपुरा समस्त जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 1666/2 रकबा 0.05 है0, 1660/0.21 है0, 1664/3 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 रकबा 0.43 है0 भूमि रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

9\. सुभाष पुत्र हरसहाय हि0 113/415 राहिन 113/415 आंध्रा बैंक शाहपुरा, गुलाब देवी पत्नि हरसहाय हि0 113/415 राहिन 113/415 आंध्रा बैंक शाहपुरा, नाबालिग अजय पुत्र हरसहाय हि0 113/415 संरक्षक माता गुलाब देवी जाति जाट, पतासी देवी पत्नि हीरालाल हि0 76/415 राहिन 76/415 यूनियन बैंक शाहपुरा समस्त जाति जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 535/1 रकबा 0.15 है0, 412 रकबा 0.25 है0, 413/1 रकबा 0.0150 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक को उक्त डिक्री 16/6/2021 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(संजीव कुमार खेदर, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

नोट:- उक्त डिक्री के क्रम सं.1 की पंक्ति संख्या 7 में न्यायालय आदेश दिनांक 20/6/25 की अनुपालना में नाबालिग अजय पुत्र हरसहाय हि0 1/15 के बजाय 1/45 पढ़ा जावे।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज